भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2514

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

2514. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र-एक उर्वरक' पहल के तहत यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य रुपए 242 प्रति 45 किलोग्राम बैग निर्धारित किया गया है और यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान बिहार राज्य को वर्ष-वार आवंटित यूरिया एवं डीएपी तथा उनकी वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान बिहार में उर्वरकों की मांग और आपूर्ति के आंकड़ों का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए इसका जिला-वार और वर्ष-वार विवरण क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान औरंगाबाद और बिहार के अन्य हिस्सों से उर्वरकों की कमी, आपूर्ति में देरी या उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग के संबंध में वर्ष-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त संसदीय क्षेत्र में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जाता है। 45 किलो यूरिया के बैग का एमआरपी (नीम कोटिंग प्रभारों और लागू करों को छोड़कर) 242 रुपये है। खेती स्थल पर वितरित की गई यूरिया की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया निर्माता / आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देशभर के सभी किसानों को सब्सिडी वाली दर पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अलावा, बिहार राज्य सहित राज्यों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम का प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. डीएएण्डएफ़डब्ल्यू और उर्वरक विभाग द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, बिहार राज्य में यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की उपलब्धता पिछले तीन वित्त वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक–**। में दी गई है।

इसके अलावा, उर्वरक संबंधी जमाखोरी, विपथन और कालाबाजारी के मुद्दों का समाधान करने के लिए, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, उक्त कदाचारों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। तदनुसार, इन कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 06.02.2026 तक बिहार राज्य द्वारा किए गए प्रवर्तन उपायों के संबंध में विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2514 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

बिहार							
पिछले 3 वर्षों के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री की स्थिति							
आंकड़े एलएमटी में							
क्रमांक	**वर्ष**	**यूरिया**			**डीएपी**		
		आवश्यकता	**उपलब्धता**	**बिक्री**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**बिक्री**
1	2024-25	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83
2	2023-24	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51
3	2022-23	22.80	24.68	21.96	6.82	7.15	5.66

अनुलग्नक-II

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2514 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

25 **अप्रैल से 26 फरवरी (**06.02.2026 **तक) तक का संचयी विवरण**

अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक (06.02.2026 तक) तक खरीफ मौसम के दोरान कालाबाजारी जमाखोरी, और विपथन को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण के साथ दोषसिद्ध *	कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर		जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
बिहार	23443	1264	797	117	7	0	0	6	0	0	0	0	0	शून्य	~~1277~~	~~797~~	~~117~~

उपरोक्त डेटा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संकलित किया गया है।